न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

प्रकरण संख्या 62/2024 दिनांक 11.07.2024

आदेश

तहसीलदार मण्डावर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू0अ0) 1957 के नियम 58 ,59, 60 एवं 66 व 86 के अन्तर्गत स्थाई रूप से चालू रास्ता को राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित करने हेतू इस आशय का प्रस्तुत किया है ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर स्थित आराजी खसरा संख्या 464/1.09, 465/1.09, 604/466/0.54 किस्म बजंड में से 0.09 है0 भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नही है। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रा0 पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भूमि की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार मण्डावर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर स्थाई रूप से चालू है। तहसीलदार मण्डावर ने प्रस्ताव अनुसार रास्ता स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण से संबंधित सहखातेदारों को नोटिस जारी किये गये। संबंधित खातेदारों ने सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत कर मौके पर स्थाई रूप से रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने हेतु सहमति प्रकट की है। प्रकरण के साथ संबंधित खातेदारों के आधार कार्ड हस्ताक्षर किये हुये संलग्न है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर स्थित आराजी खसरा संख्या 464/1.09, 465/1.09, 604/466/0.54 किस्म बजंड भूमि मूलीदेवी पत्नी स्व. सम्पत व अन्य के नाम सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार मण्डावर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता 0.09 है0 भूमि मौके पर स्थाई रूप से चालू है। जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। उक्त आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रभावित नही है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू0अ0) 1957 के नियम 58 ,59, 60 एवं 66 व 86 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 तथा पं.3(17)राज-6/2021पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार मण्डावर की मौका रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रस्ताव अनुसार ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर स्थित आराजी खसरा संख्या 464/1.09, 465/1.09, 604/466/0.54 किस्म बजंड में से 0.09 है0 भूमि जो सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है, को प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि वो उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में मुताबिक नक्शा ट्रैस गै0मु0 रास्ता दर्ज करे। उक्त भूमि संबंधित काश्ताकारों की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर जिला दौसा
(उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा))
दि0 11/7/24

क्रमांक:- राज/2024/260

प्रतिलिपिः-तहसीलदार मण्डावर को निर्णय प्रति मय प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर जिला दौसा
(उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा))

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakhan Singh Gurjar
Date: 2024.10.01 13:34:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner